



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052026-272780
CG-DL-E-21052026-272780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2499]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2026/वैशाख 30, 1948

No. 2499]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2026

का.आ. 2591(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का24) की धारा2 के खंड(37A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित परियोजना को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य से संबंधित, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 'विशेष रेलवे परियोजना' घोषित करती है।

सारणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य
(1)	(2)	(3)
1.	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा	पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात

[फ़ा. सं. 2026/LML-II/13/7]

ऋषि गंगवार, कार्यकारी निदेशक (एल एंड ए)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2026

S.O. 2591(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project, as special railway project, as mentioned in column (2) of the Table below in the States mentioned in corresponding column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Table

Sl. No.	Name of Project	States
(1)	(2)	(3)
(1)	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west.	West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat.

[F. No. 2026/LML-II/13/7]

RISHI GANGWAR, Executive Director (L&A)